

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022
and
Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

SUBHASH C. PANDEY

APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF MP & ORS

RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh by OIC in compliance of order dated 08.07.24 & affidavit	—	1-9
2.	Action Taken regarding the representation of Auroshikha Education and Social Welfare Society before the High Level Committee: Copy of letter dated 18.07.24 of the OSD, UADD, GoMP	R-1	10-14
3.	Action Taken for the removal private illegal construction in 33 m from FTL of Kaliasote Reservoir: Copy of letter dated 05.07.24 of the City Planner, Bhopal Municipal Corporation.	R-2	15-17
4.	Action Taken by various revenue courts for the removal of encroachments on government land in 33 m from FTL of Kaliasote reservoir : Copy of information dated 13.08.24 by the SDM T.T. Nagar, Bhopal and eviction notices issued	R-3 (colly)	18-96
5.	Action Taken by the Tehsildar, Huzur for the removal of encroachments on government land in in 33 m from FTL of Kerwa reservoir :	R-4 (colly)	97-110

	Copy of the eviction notices dated 07.08.24		
6.	Action Taken by Janpad Panchayat Fanda: Letter no 3134 dated 14.08.24 regarding removal private illegal constructions in 33 m from FTL of Kerwa reservoir.	R-5 (colly)	111-149
7.	Letter no. 3173 dated 14.08.24 Janpad Panchayat Fanda to SDM Huzur for assistance in removal of encroachments from 33 m buffer zone of Kerwa reservoir	R-6	150
8.	Status of progress of sewage treatment structures in Kerwa reservoir area vide letter dated 13.08.24 of the Additional CEO Jila Panchayat, Bhopal along with photographs.	R-7	151-159
8.	Status of progress of sewage treatment structures in Kaliasote reservoir area vide letter dated 13.08.24 of the BMC (Sewage Cell) Bhopal along with photographs.	R-8	160-165

Date:20.08.2024

Place: Bhopal

Respondent No. 1



**Through Counsel
(Prashant M. Harne)**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022
and
Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

SUBHASH C. PANDEY

APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF M.P. & ORS

RESPONDENT(S)

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA
PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.07.2024**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER :-

1. Issue raised in this application is alleged unauthorized, illegal construction and encroachment on the reservoir land shown as Kaliyasot & Kerwa reservoir in the territorial jurisdiction of District Bhopal (Madhya Pradesh). It is further alleged that in the Bhopal Master Plan of 2005, which is currently in force, the lands and forests around the Kaliyasot Reservoir up to 33 meter from the edge of the Reservoir is to be kept open for Green Belt. That it is further alleged by the Applicant regarding the issue of movement of Tiger and Leopard and other wild animals in the surroundings of the

Reservoir, which is adjacent to the Kerwa area of Bhopal, is a known corridor of Tiger and Leopard, along with many other wild life species. Hundreds of aquatic animals like Ghariyal, Crocodile and Tortoise in the Kaliasot Reservoir are also at risk due to the said activities.

2. It is respectfully submitted that vide its order dated 08.07.24 was pleased to order that an action taken report be filed. The answering respondent submits that to verify the status of compliance of the Hon'ble NGT orders a meeting of the officers of the all concerned departments was convened on 13.08.24 in the office of the Deputy Secretary Environment Department wherein the concerned departments have submitted their respective Action Taken Reports. Thus the compliance by the State of MP is being submitted as under:-

3. Regarding the issue of the representations before the High Level Committee, it is submitted that the representation of one Auroshikha Education was heard by the High Level Committee on 02.04.24 for the illegal construction of a tin shed on the fish farm. The representative of the Auroshkiha Education informed that they have removed the tin shed from the 33 m area from the FTL of the Kaliasote reservoir and on 05.04.24 submitted an affidavit that they have not done any pucca RCC construction on their land, there is no shed and in future also no shed etc will be constructed. The site

was got inspected for verification and it was found that the tin shed over the fish pond has been removed. The information in this regard provided by the OSD of UADD dated 18.07.24 is placed herewith and attached as **Annexure R-1.**

4. It is further respectfully submitted that as far as removal of encroachments are concerned, BMC has issued notices to the 11 illegal constructors on private land in the 33 meter buffer zone of Kaliasote Reservoir, out of which 3 private owners have removed the illegal constructions themselves, 7 have obtained stay from the Hon'ble High court of MP, Principal Seat at Jabalpur and 1 person, namely Auroshikha Education has also removed its tin shed from the 33 m area from the FTL of Kaliasote reservoir. A copy of the compliance submitted by the office of city planner Bhopal Municipal Corporation dated 05.07.24 is marked and placed herewith as **Annexure R-2.**

5. Regarding encroachment on government land in 33 meter buffer area of Kaliasote reservoir, notices have been issued to the encroachers and cases have been registered under section 248 of the LRC. Action as per law has been initiated and notices were issued initially on 11.09.23. Later on notices for eviction (Bedakhli) have been issued by revenue courts of Nayab Tehsildar, Capital Project, T.T. Nagar on 05.08.24; by Tehsildar, Capital

Project, T.T. Nagar on 15.03.24; and Upper Tehsildar, Capital Project, T.T. Nagar on 05.08.24 in their respective jurisdictions. Some encroachers presented themselves before the respective revenue courts and filed their replies. The encroachments are proposed to be removed after the rains as per the GoMP Revenue department Order dated 23.06.23, which prohibits removal of housing encroachments during rains. Thus further process of removal as per law is being taken. Information received from the office of the SDM TT Nagar dated 13.08.24 is marked and placed herewith as **Annexure R-3 (colly).**

6. Similarly for 33 encroachments in the 33 meter buffer zone of Kerwa, 18 were on government land and 15 were illegal constructions on the private land as submitted in the earlier report. Cases were registered under section 248 of LRC for government land while notices were issued by gram panchayats to private land violators. The court of Tehsildar Huzur has issued notices for eviction to the encroachers on government land on 07.08.24. A copy of the notices are marked and placed herewith as **Annexure R-4 (colly).**
7. The Gram Panchayats of Berkhedi Bajyaft, Bhanpur Kekadia, Chhapri and Mendora etc have issued notices on 11.09.23 then on 15.03.24 to the illegal construction on private land. Now on 14.08.24 the respective gram

panchayats have sent the request to the SDM Huzur for providing revenue staff and police force for the removal of encroachments. The information provided by the office of Janpad Panchayat Fanda, district Bhopal vide their letter no. 3134 dated 14.08.24 is marked and placed herewith as **Annexure R-5(colly)**. The CEO of Janpad Panchayat Fanda vide his letter dated 3173 dated 14.08.24 has also written to SDM Huzur for providing necessary assistance for the removal of encroachments, a copy of which is marked and placed herewith as **Annexure R-6**.

8. Pertaining to the management of sewage to curb water pollution in the Kerwa reservoir, it was earlier reported that in Mendora village construction of 2 DEWATS is under progress; in Mendori village construction of 10 leach pits and 1 DEWATS system is under progress; and in Kushalpura village construction of 2 soak pits / end point structures for sewage discharge has been constructed. Now the Additional CEO Jila Panchayat office vide letter dated 13.08.24 has submitted that in Mendori village, 10 leach pits been constructed and one DEWATS of 15 KLD has been completed; in Kushalpura village 2 soak pits / end point discharge structures have already been completed and in Mendora village 75 KLD DEWATS construction is complete and 35 KLD DEWAT is under construction. The progress reported by the Additional CEO Jila Panchayat vide letter dated

13.08.24 along with photographs is marked and placed herewith as

Annexure R-7 (colly)

9. The office of the Bhopal Municipal Corporation (sewage cell) has submitted the progress pertaining to the control of sewage discharge in Kaliasote reservoir. It had been already informed that out of 1.25 MLD sewage joining Kaliasote reservoir, work related to joining of 0.60 MLD of the sewage with the existing sewage network at two places had been completed. For the two remaining places respectively at Suraj Nagar nallah (0.20 MLD) and Barkhedhi nallah (0.45 MLD), the construction of 200 KLD STP at Surajnagar and construction of 450 MLD STP near Barkhedhi Nalla are 40 % complete, and the remaining work will be completed within 3 months. The relevant information provided by the office of BMC (sewage cell) dated 13.08.24 along with photographs is marked and placed herewith as

Annexure R-8 (colly).

10. An affidavit in support of the report is filed herewith.

Date:20.08.2024

Place: Bhopal

Respondent No. 1



**Through Counsel
(Prashant M. Harne)**

M.P. Pollution Control Board
BHOPAL M.P.
No.: 2180847
Date: 23/7/24

ANNEXURE R-1

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

सं

कमांक 1718 /916/2022/18-2
प्रति,

भोपाल दिनांक 18/7/2024

डायरेक्टर,
म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

विषय:- O.A. No 07/2022 & 12/2022 (cz) filed by Dr. Subhash C pandey Vs.
state of Madhya pradesh & Ors.

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 3478/तक/मुप्रनिबो/2024, दिनांक 10/07/2024 .

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 17.05.2024 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

SE(III)

(मनोज श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./2024

भोपाल दिनांक/...../2024

प्रति,

अपर सचिव
म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल।

विषय:- एन.जी.टी.प्रकरण क्रमांक (सी.जेड.) OA 07/2022(कलियासोत रिजरवायर) और ओ.ए. नं. 12/2022 (केरवा रिजरवायर) में अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध आरोशिखा एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्रमांक 813 दिनांक 28.03.2024 एवं पत्र क्रमांक 883 दिनांक 08.04.2024।

माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 07/2022 (कलियासोत रिजरवायर और ओ.ए. नं. 12/2022 केरवा रिजरवायर) में पारित आदेश द्वारा कलियासोत रिजरवायर के एफ.टी.एल.से 33.00 मीटर के दायरे में निर्मित भवनों को हटाये जाने हेतु आदेशित किया है।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर वृत्त, राजधानी परियोजना भोपाल के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 532 दिनांक 09.09.2023 में कलियासोत रिजर वायर के फुल टैंक सीमा के 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकित निर्माण/संरचनाओं की प्राप्त जानकारी में कुल 11 संरचनाएं निजी स्वामित्व की भूमि पर अवस्थित हैं।

अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी.नगर वृत्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा कुल 11 निजी स्वामित्व वाले भूमि स्वामियों को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के तहत दिनांक 11.9.2023 को अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गए। जारी सूचना पत्र की समयवधि समाप्त होने के उपरांत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को रिक्त किये जाने हेतु अंतिम सूचना पत्र दिनांक 21.09.2023 को जारी किए गए।

प्रकरण में 07 निजी भूमिस्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा (स्टे आर्डर) प्राप्त किए गए हैं। 03 निजी भूमिस्वामियों ने स्वयं के द्वारा ही अतिक्रमण को हटा लिया गया है।

अन्य 01 प्रकरण के भूमिस्वामी आरोशिखा एजुकेशन के द्वारा माननीय एन.जी.टी. में पारित आदेश दिनांक-20.09.2023 के क्रम में इस कार्यालय में अभ्यावेदन दिनांक-22.09.2023 को प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन में हाई लेवल कमेटी को अपना रिप्रजेंटेशन प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 28.03.2024 को आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अभ्यावेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अधोहस्ताक्षरकर्ता दिनांक 02.04.2024 को सुनवाई की गई। सुनवाई में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कलियासोत बांध के 33.00 मीटर दायरे में निर्मित टिन शेड को हटाए जाने संबंधी जानकारी दी गई एवं दिनांक 05.04.2024 को संस्था के प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि "हमने हमारी भूमि पर आर.सी.सी. का कोई पक्का निर्माण नहीं किया गया है। वर्तमान में हमारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई शेड इत्यादि नहीं बना है और हम भविष्य में भी इस प्रकार का कोई शेड इत्यादि नहीं बनायेगे।"

//2//

07/22

R. S. S. S. S.
24/05/24

उक्त शपथ पत्र के कम में दिनांक 10.04.2024 को स्थल निरीक्षण कराया गया जिसमें पाया गया कि स्थल पर फिश पोंड के ऊपर निर्मित टिन शेड को हटा लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रकरण का प्रतिवेदन प्रेषित है।

संलग्न-सचिव, आरोशिखा एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

2052569
24/05/2024

(हरेन्द्र नारायण)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल दिनांक 17/05/2024

पृष्ठां. क्र. 3518 / भ.अ.शा. / 2024
प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से कृपया सूचनार्थ।

Harender Narayan
आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल

PS: UD & H
NO. 3497
DS(FN)
(on leave) A
20 MAY 2024
PS

0506ms)
802 /mm 22.5.24

No. 1949 / DS (FN) / UHD
Dated. 22/5/24

No. 5854 / MS (OSD) -UHD
Dated. 22/5/24

*Spl. Adhesive Tkt Rs. 50/-

Notarial Tkt Rs. 50/- Are Pasted

केटरी पंजी. क्र. 35 पृ. क्र. 47 दि. 05-APR 2024

शपथ पत्र



मैं राज राउत, पुत्र श्री एस.के. राउत, आयु लगभग - 42 वर्ष, निवासी ओरोशिखा ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, 46/2, केरवा डेम रोड, खसरा क्रमांक 84/1/2/2, नवबहार फार्म, खुदागंज, केरवा डेम रोड, भोपाल (म.प्र.) 462044 शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ -

1. यह कि मैं ओरोशिखा ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी का सचिव हूँ और मेरी सोसायटी ग्राम-चंदनपुरा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल के खसरा क्रमांक 77/1/2/1/1/2 कुल रकबा 0.409 हेक्टेयर भूमि की स्वामी और कब्जाधारी है और श्रीमान आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल के समक्ष यह शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपनी समिति द्वारा विधिवत अधिकृत हूँ।
2. यह कि हमारी सोसायटी को भारत सरकार कृषि मंत्रालय, नई-दिल्ली की नील क्रांति योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में केरवा डेम, साक्षी ढाबे के पास, बुल मदर फॉर्म के सामने, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल में रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) की स्थापना हेतु चयनित किया गया और रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) का अनुदान प्रदान किया गया। संचालक मत्स्य उद्योग, भोपाल से नील क्रांति योजना में आर.ए.एस पद्धति से पंगेसियास मछली पालन संचालनालय मत्स्योद्योग भोपाल अनुमति लेने और बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात सोसायटी ने कलियासोत नदी के किनारे परवा के बाहर मछली पालन के लिए आठ खुले टैंक (कुँए) बनाए हैं। मछली पालन का कार्य कृषि कार्य है। और इस कार्य से पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है।
3. यह कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के भाग-3 में अनुज्ञा तथा निरीक्षण के अंतर्गत नियम क्रमांक-12 के अनुसार अपनी स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य के सामान्य क्रम में किये गये कुँए के निर्माण हेतु अनुज्ञा/अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सोसायटी ने अपनी भूमि पर सिर्फ आठ खुले कुँए बनाये हैं, जिसके लिये किसी अनुज्ञा/अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने मछली पालन हेतु उक्त कुँए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा अनुमोदित ड्रॉइंग के अनुसार बनाए हैं।
4. यह कि हमने हमारी भूमि पर आर.सी.सी. का कोई पक्का निर्माण नहीं किया है। वर्तमान में हमारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई शेड इत्यादि नहीं बना है और हम भविष्य में भी इस प्रकार का कोई शेड इत्यादि नहीं बनायेंगे।



(Signature)

5. यह कि हमारी सोसायटी को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला-भोपाल ने पत्र क्रमांक 1938 सा/90/जी.का.भो./2020 भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर 2020 प्रेषित कर स्पष्ट किया था कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1972 की धारा 10 के अंतर्गत मत्स्य पालन कृषि गतिविधि है, और यदि कोई विकास कार्य किया जाता है तो मत्स्य पालन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से समिति की भूमि हेतु किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

6. यह कि सोसायटी ने अपनी उक्त वर्णित भूमि पर कोई भवन इत्यादि पक्का निर्माण नहीं किया है और इसी कारण से माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेश पर हुये स्थल निरीक्षण पश्चात हमारी भूमि पर निगम के अमले द्वारा किसी प्रकार की कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं की गयी है और ना ही कोई अतिक्रमण पाया गया है।

7. यह कि हम शपथ पूर्वक व्यक्त करते हैं कि हमारी सोसायटी द्वारा कलियासोत जलाशय की सीमा से 33 मीटर के अंदर कोई पक्का निर्माण नहीं किया गया है और हम भविष्य में भी ऐसा कोई निर्माण नहीं करेंगे। हमारे द्वारा किसी भी विधि का कोई उल्लंघन नहीं किया गया और भविष्य में भी नहीं किया जायेगा।

स्थान - भोपाल

दिनांक - 05.04.2024



सत्यापन

शपथग्रहिता



मैं राज राउत, पुत्र श्री एस.के. राउत, आयु लगभग - 42 वर्ष, सचिव ओरोशिखा ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, 46/2, केरवा डेम रोड, खसरा क्रमांक - 84/1/2/2, नवबहार फार्म, खुदागंज, केरवा डेम रोड, भोपाल (म.प्र.) सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण क्रमांक- 1 से 7 तक में व्यक्त समस्त कथन सत्य एवं सही है एवं मेरे द्वारा कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थान - भोपाल

दिनांक - 05.04.2024

शपथग्रहिता

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME BY THE WITHIN NAME

SUSHIL GAHLOT
NOTARY, BHOPAL (INDIA)

05 APR 2024

IDENTIFIED BY ME

NAME.....

ADDRESS.....

MOB.....

SIGNATURE.....

नरसे पंजी. क्र. 35 पृ.क्र. 11 दि. 05 APR 2024



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

ANNEXURE R-2

क्र. 11835/भ.अ.शा./2024

भोपाल दिनांक 05/07/2024

प्रति,

✓ श्री हेमंत कुमार शर्मा
डायरेक्टर (पर्यावरण) एवं प्रभारी अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 07/2022 (सीजेड) ओ.ए. नं. 12/2022 (सीजेड) (डॉ. सुभाष सी.पाण्डेय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में आदेश दिनांक 20.09.2023 एवं आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3185 दिनांक 23.06.2024।

माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 07/2022 (कलियासोत रिजरवायर और ओ.ए. नं. 12/2022 केरवा रिजरवायर) में पारित आदेश द्वारा कलियासोत रिजरवायर के एफ.टी.एल.से 33.00 मीटर के दायरे में निर्मित भवनों को हटाये जाने हेतु आदेशित किया है।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर वृत्त, राजधानी परियोजना भोपाल के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 532 दिनांक 09.09.2023 में कलियासोत रिजर वायर के फुल टैंक सीमा के 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकित निर्माण/संरचनाओं की प्राप्त जानकारी में कुल 11 संरचनाएं निजी स्वामित्व की भूमि पर अवस्थित होने से भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा कुल 11 निजी स्वामित्व वाले भूमि स्वामियों को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के तहत दिनांक 11.9.2023 को अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गए। जारी सूचना पत्र की समयावधि समाप्त होने के उपरांत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को रिक्त किये जाने हेतु अंतिम सूचना पत्र दिनांक 21.09.2023 को जारी किए गए।

प्रकरण में 07 निजी भूमिस्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा (स्टे आर्डर) प्राप्त किए गए हैं। 03 निजी भूमिस्वामियों ने स्वयं के द्वारा ही अतिक्रमण को हटा लिया गया है।

अन्य 01 प्रकरण के भूमिस्वामी आरोशिखा एजुकेशन के द्वारा 33.00 मीटर के दायरे में फिश पोंड के उपर निर्मित टिन शेड को हटा लिया गया है। उक्त के संबंध में शासन को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार जानकारी प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल दिनांक/...../2024

पृष्ठां. क्र./भ.अ.शा./2024

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

Recd
10/7



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./2024

भोपाल दिनांक/...../2024

प्रति,

अपर सचिव
म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल।

विषय:- एन.जी.टी.प्रकरण क्रमांक (सी.जेड.) OA 07/2022(कलियासोत रिजरवायर) और ओ.ए. नं. 12/2022 (केरवा रिजरवायर) में अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध आरोशिखा एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्रमांक 813 दिनांक 28.03.2024 एवं पत्र क्रमांक 883 दिनांक 08.04.2024।

माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 07/2022 (कलियासोत रिजरवायर और ओ.ए. नं. 12/2022 केरवा रिजरवायर) में पारित आदेश द्वारा कलियासोत रिजरवायर के एफ.टी.एल.से 33.00 मीटर के दायरे में निर्मित भवनों को हटाये जाने हेतु आदेशित किया है।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर वृत्त, राजधानी परियोजना भोपाल के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 532 दिनांक 09.09.2023 में कलियासोत रिजर वायर के फुल टैंक सीमा के 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकित निर्माण/संरचनाओं की प्राप्त जानकारी में कुल 11 संरचनाएं निजी स्वामित्व की भूमि पर अवस्थित हैं।

अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी.नगर वृत्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा कुल 11 निजी स्वामित्व वाले भूमि स्वामियों को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के तहत दिनांक 11.9.2023 को अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गए। जारी सूचना पत्र की समयावधि समाप्त होने के उपरांत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को रिक्त किये जाने हेतु अंतिम सूचना पत्र दिनांक 21.09.2023 को जारी किए गए।

प्रकरण में 07 निजी भूमिस्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा (स्टे आर्डर) प्राप्त किए गए हैं। 03 निजी भूमिस्वामियों ने स्वयं के द्वारा ही अतिक्रमण को हटा लिया गया है।

अन्य 01 प्रकरण के भूमिस्वामी आरोशिखा एजुकेशन के द्वारा माननीय एन.जी.टी. में पारित आदेश दिनांक-20.09.2023 के क्रम में इस कार्यालय में अभ्यावेदन दिनांक-22.09.2023 को प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन में हाई लेवल कमेटी को अपना रिप्रजेंटेशन प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 28.03.2024 को आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अभ्यावेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अधोहस्ताक्षरकर्ता दिनांक 02.04.2024 को सुनवाई की गई। सुनवाई में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कलियासोत बांध के 33.00 मीटर दायरे में निर्मित टिन शेड को हटाए जाने संबंधी जानकारी दी गई एवं दिनांक 05.04.2024 को संस्था के प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि "हमने हमारी भूमि पर आर.सी.सी. का कोई पक्का निर्माण नहीं किया गया है। वर्तमान में हमारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई शेड इत्यादि नहीं बना है और हम भविष्य में भी इस प्रकार का कोई शेड इत्यादि नहीं बनायेगे।"

उक्त शपथ पत्र के कम में दिनांक 10.04.2024 को स्थल निरीक्षण कराया गया जिसमें पाया गया कि स्थल पर फिश पोंड के ऊपर निर्मित टिन शेड को हटा लिया गया है।
उपरोक्तानुसार प्रकरण का प्रतिवेदन प्रेषित है।

संलग्न-सचिव, आरोशिखा एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

Harindu Narayan
(हरेन्द्र नारायण)
आई.ए.एस.

o/c

M

आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल दिनांक 17/05/2024

पृष्ठां. क्र. 3517-3518 / म.अ.शा. / 2024
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से कृपया सूचनार्थ।


o/c

M

Harindu Narayan
आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक 3867/तक/मुप्रनिबो/2024
भोपाल दिनांक 12/08/2024 के द्वारा चाही गई जानकारी

1. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक 30/06/2023 के पारिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजधानी परियोजना टी.टी नगर भोपाल के आदेश दिनांक 23/08/2023 के द्वारा कलियासोत के बाँध के एफ टी एल एवं एफ टी एल के 33 मीटर के दायरे में अतिक्रमण/निर्माण की जाँच हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, नगर निगम एवं राजस्व विभाग की टीम गठित कर संयुक्त सर्वे कराया गया । जल संसाधन विभाग द्वारा कलियासोत बाँध के डूब क्षेत्र (एफ टी एल) एवं एफ टी एल के 33 मीटर के दायरे का चिन्हाकन किया गया तथा नगर निगम भोपाल राजस्व विभाग की टीम द्वारा उक्त क्षेत्र में पाये गये निर्माण/अतिक्रमणों को चिन्हांकित किया गया ।
2. निजी भूमि पर पाये गये निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध नगर निगम भोपाल के द्वारा कार्यवाही की गयी ।
3. शासकीय भूमि पर पाये गये अतिक्रमणों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार , न्यायालय अपर तहसीलदार एवं न्यायालय नायब तहसीलदार ने 11/08/2023 को म0प्र0 भू राजस्व संहिता कि धारा 248 के अर्न्तगत दर्ज प्रकरणों में दिनांक 11/08/2023 को प्रथम सूचना पत्र जारी किया गया । पुनः दिनांक 15/03/2024 को द्वितीय सूचनापत्र जारी किये गये कुछ अतिक्रमणकारियों ने उपस्थित हो कर जाबव प्रस्तुत किये। न्यायालय तहसीलदार , न्यायालय अपर तहसीलदार, न्यायालय नायब तहसीलदार ने अपने-अपने प्रकरणों में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली आदेश दिनांक 05/08/2024 को पारित किये गये ।
4. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 23/06/2023 के अनुसार वर्षाकाल में नजूल भूमि पर निर्मित आवासीय स्वरूप के अतिक्रमणों को न हटाये जाने के निर्देश दिये गये है ।
5. वर्षाकाल समाप्त होने के उपरान्त उपरोक्त अतिक्रमणों को हटाया जावेगा ।



न्यायालय नायब तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

प्रकरण क्रमांक 04/अ-68/2023-24

मध्यप्रदेश शासन.....आवेदक

विरुद्ध

श्री सुरेश शाह व अन्य

निवासी-ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल.....अनावेदक

// बेदखली आदेश //

(बेदखली आदेश अंतर्गत धारा 248 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959)
(आज दिनांक...०५.../...०९.../2024 को पारित)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व निरीक्षक ग्राम सेवनिया गौड़ द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सेवनिया गौड़ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 122/1 पर जो कि कलियासोत बांध के एफ.टी.एल. एवं 33 मीटर के दायरे में आता है पर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। जिसके संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उक्त शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्देश दिये गये थे किन्तु आज दिनांक तक उक्त शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है। अतिक्रमणकर्ताओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अतिक्रमणकर्ता का नाम	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा वर्गफिट में	अतिक्रमण का प्रकार
1	सुरेश शाह	सेवनिया गौड़	122/1	96	झुग्गी
2	कीरत पुत्र नरहेलाल	सेवनिया गौड़	122/1	375	झुग्गी
3	धरमपाल पुत्र रूसिंह	सेवनिया गौड़	122/1	1080	झुग्गी
4	शबाना पत्नि वहीद	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
5	बनेसिंह पुत्र गंगाराम	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
6	मुकेश पुत्र सिद्धू	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
7	आत्माराम पुत्र तुलाराम	सेवनिया गौड़	122/1	960	झुग्गी
8	दग्गू पुत्र बाबूलाल	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
9	मनोज तेकाम	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
10	शैलेन्द्र तेकाम पुत्र राजकुमार	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
11	महेश श्याम पुत्र अभयसिंह	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
12	कालू सिसोदिया पुत्र दुलेसिंह	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
13	विक्की पुत्र दिलीप	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
14	दिनेश श्याम पुत्र चरणसिंह	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
15	सुजान	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
16	मुकेश बजारा	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
17	सुखीराम मरावी	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
18	तेजराम पुत्र भंवरलाल	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी
19	मखन पुत्र गोरेलाल	सेवनिया गौड़	122/1	450	झुग्गी

20	विजय श्याम	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
21	हरीना बी पत्नि इमायत कुरैशी	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
22	सिमरन	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
23	सुनील पुत्र दिलीप	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
24	अनीता पत्नि धनीराम	सेवनिया गौड	122/1	300	शुग्गी
25	ममता पत्नि किरान	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
26	जहीर खान पुत्र कदीर खान	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
27	सुरेश पुत्र सिद्ध	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
28	विमला जी पत्नि रोड जी	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
29	गंगाबाई पत्नि श्यामलाल	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
30	प्रकाश कछाव पुत्र धन्नालाल	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
31	जगदीश पुत्र भेरूलाल राठौर	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
32	मेहन पुत्र धन्ना पटेल	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
33	घनश्याम	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
34	गुलशन यादव	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
35	केलाबाई पत्नि शोभाराम	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
36	जमनाबाई पत्नि घासीराम	सेवनिया गौड	122/1	450	शुग्गी
37	पंकज	सेवनिया गौड	122/1	250	शुग्गी

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सेवनिया गौड स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग भूमि पर अवैध शुग्गी निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है।

अतः शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण प्रमाणित होने से उक्त शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमित भूमि से आपके विरुद्ध बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर उक्त शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित करें अन्यथा उक्त अतिक्रमण बल पूर्वक हटाया जावेगा एवं उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने में होने वाले समस्त व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित।

Kanay
बहेरीलदार
राजधन विकास निगम, नगर
राजधानी परियोजना
भोपाल

पृ.क्र...../तह./टी.टी.नगर/2024

भोपाल दिनांक /...../2024

प्रतिलिपि:-

1. हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक ग्राम सेवनिया गौड की ओर अतिक्रमण हटवाने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0005 / अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री. मं.त. जी. मधेश भारती
ग्राम - सेवीनिया गोंड
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीनिया गोंड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 114 क्षेत्रफल 13.229 एकड़/वर्गफुट में से 0.002 एकड़/वर्गफुट भूमि पर शुद्ध कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जं.री किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

मं.त. भारती

प्रति श्री. मं.त. जी. मधेश भारती को सूचनापत्र
के लिए उचित किया गया है।
मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जं.री

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0005 / अ-68 / 23-2

प्रति,

श्री. अ. ए. सी. मोहन भारती
ग्राम. सेवीनया गौड
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीनया गौड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 133 क्षेत्रफल 0.251 एकड़/वर्गफुट में से 0.020 एकड़/वर्गफुट भूमि पर मंदिर कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर भोपाल



श्री. अ. ए. सी. मोहन भारती को सूचना पत्र कि एक कॉपी देकर साथ ही इस सादर से का मे रिपोर्ट पेश है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0005/अ-68/23-21

प्रति,

श्री. रमेश मेहरा
(कारिस्ट-वैकील)
ग्राम - सेविका गाँव भोपाल

अतिरिक्त सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गाँव की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 115 क्षेत्रफल 12.238 एकड़/वर्गफुट में से 0.004 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सूची कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



02/04/24

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0005 / अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री. पुजारी / शिववंदित
ग्राम - सेवीन्या गौड़
भोपाल

अंतिम सूचना पर
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीन्या गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 115 क्षेत्रफल 12.238 एकड़/वर्गफुट में से 0.004 एकड़/वर्गफुट भूमि पर कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर भोपाल



प्रति श्री माई जी पते पर आपका मान्य पत्र कोई भी नहीं मिल, अतः सूचना पर नभीकली

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003 /अ-68/2321

प्रति,

श्री... श्रीरंजय पादव
ग्राम शेरीगया गोंड
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेरीगया गोंड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 128 क्षेत्रफल 9.483 एकड़/वर्गफुट में से 3750 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/अ-68/23-2

प्रति,

श्री. गुड्डू यादव
ग्राम शेवनिगा गौज
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेवनिगा गौज की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 128 क्षेत्रफल 9.483 एकड़/वर्गफुट में से 37.50 एकड़/वर्गफुट भूमि पर इयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

101
15/3/24



गुड्डू यादव

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
तहसीलदार
टी.टी.नगर वृत्त, भोपाल
भोपाल

श्री. गुड्डू यादव को सूचना पत्रक कि एक कॉपी
देकर बाद तमील डिमा सादर लिखा से रिपोर्ट पेश है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003 / अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री. वृज. रिकबोर उपाध्याय
आ. रत्न आधार
ग्राम- सेवीनिया गौड़

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीनिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 128 क्षेत्रफल 3.483 एकड़/वर्गफुट में से 3750 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत आधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

101
15/3/24

वृज. रिकबोर

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



श्री. वृज. रिकबोर उपाध्याय को सूचना पत्र कि एक प्रतिलिपि दे
र वह तमील किया साइड सिफ के रिपोर्ट पत्र है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003 / अ-68 / 23-2

प्रति

श्री. अश्वीष मिश्रा
ग्राम - सेवीन्या गौड़
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीन्या गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 128 क्षेत्रफल 9.483 एकड़/वर्गफुट में से 3750 एकड़/वर्गफुट भूमि पर इयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.सी किया गया।

101
15/3/24



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर, वृत्त भोपाल

श्री
श्री

आपको अतिक्रमण सूचना पत्रक के एक कॉपी देकर बाह
नमील क्रमांक 15/3/24 के अंतर्गत पेश है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003 /अ-68/ 23

प्रति.

श्री. जमिल खान
ग्राम सेवीनिया गौज
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीनिया गौज की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 128 क्षेत्रफल 3.483 एकड़/वर्गफुट में से 3750 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय वस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त
भोपाल



101
15/3/24

श्री. जमिल खान का सूचना पत्र एक कاپी देकर आद
नभील कृष्ण साहू सेक के रिफरेंस पेवक है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003 / अ-68 / 23-

प्रति,

श्री. शेखा उपाध्याय
आ. आ. राधाधार
ग्राम सेवीन्या गौड भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीन्या गौड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 128 क्षेत्रफल 9.483 एकड़/वर्गफुट में से 3750 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जायेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज. सी किया गया।

101
15/3/24



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 5004/अ-68/23-21

प्रति,

श्री धनश्याम

निवासी-ग्राम-शैवतियागाँव-भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शैवतियागाँव की शासकीय भूमि खरारा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-04-012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

मकल

पति

श्री भाई जी अनावेदक को सूचना पत्रक के एक कॉपी देकर 15/3/24 को तहसीलदार के पास सादर खिवा मे रिपोर्ट पेश है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक ०००४/अ-६८/२३

प्रति

श्री दिनेश श्याम
पुत्र श्री चरण सिंह
निवासी - आश - सेवमिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवमिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-0-12 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत आधिकारम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर चेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की असूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24

प्रति श्रीमान श्याम



श्रीमान जी को सूचनापत्र के एक कापी देकर बाद तमील किया जा रहा है सिर्फ पेपर ही है

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/2

प्रति

श्री श्री अनिता पत्नी
श्री धनीराम
निवासी - ग्राम - सेविया - गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अंतर्गत आधिकारम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

+

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



प्रति

अनितानगर

श्री भाग्यश्री अनिलदेव को सूचनापत्रादि के एक कॉपी देकर (एक तमिल किया सादर सेवा में रिपोर्ट पेश है) 3

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-2

प्रति,

श्री डाबू शिरोडिया
पुत्र श्री दुलेसिंह
निवाकी - ग्राम - शेवतिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेवतिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

प्रति
श्री मान जी को सूचना पत्र के एक कापी देकर एवं लम्बा किया सिद्ध करने के लिए पेश है।

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक ०००४ अ-68/280

प्रति,

श्री महेश्याम पुत्र
श्री अभय सिंह
निवासी - ग्राम - सेवनीया ताहसील - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))


एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अंतर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02.04.24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.सी किया गया।

100
15/3/24



ताहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

प्रति महेश्याम पुत्र
श्री यान जी अनाबेदक को सूचना पत्र के कि एक कॉपी देकर याद दिलाया किमा सादर सेवा में अतिक्रमण है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-2

प्रति,

श्री. श्रीराम प्रसाद जन्मलाल
ग्राम सेवीया गौड़
भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 375 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

प्रति

श्रीराम

श्री. श्रीराम प्रसाद जन्मलाल को सूचित पत्रक कि
एक कापी देकर (016) तहसील किमा सिद्धा सिपायें
हिफेदेपेक्षा है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-2

प्रति,

श्री धरमपाल पुत्र
श्री. रूप सिंह
निवासी - ग्राम - सेविका गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-0-12 एकड़/वर्गफुट में से 1080 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24

पूजाबाई



प्रति
श्री मानजी नारायण को सूचना पत्र कि
एक कॉपी देकर (कॉपी लाने कि या साह
सेवा से रिपोर्ट पेश है

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23--

प्रति.

श्रीमती शाना पील बघेद
ग्राम सेवीवाघा गौड़
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीवाघा गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 4.50 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/11/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से उरी किया गया।

100
15/3/24



प्रति

श्री मारुती अन्नावेदिका के सूचना पत्र

कि एक कापी देकर बाद तमील किया
सावर सेवा के रिफ्रेट पेश है।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-68 / 23-

प्रति.

श्री. बनोसिंह

आ. शंभाराम

ग्राम सेवीवाया गौड़ भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीवाया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

श्री. मान जी अनावेदक को सूचना के एक कॉपी देकर खाद तभील किया ताकि सेवा में रिपोर्ट पत्रा ही है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
रोड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23/2

प्रति,

श्री. भूकेश पुत्र सिंह
ग्राम - सेविका गौड़
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से उरी किया गया।

भूकेश पुत्र सिंह

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



मान जी अनावेक के सूचना पत्र
एक कापी देकर काद मील डिवा सादर
सेवा में रिपोर्ट पेश है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-2

प्रति

श्री आत्माराम
पुत्र श्री तुलाराम
ग्राम - सेवीवावा गौड़ भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीवावा गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 960 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.सी किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



प्राप्त

श्री मान सिंह

कापी देकर
हो

आपके को सूचना पत्रक कि एतद
द्वारा सादर सेवा में रिफरेंस प्राप्त

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 8004 / अ-68 / 23

प्रति,

श्री दरभू पुत्र
श्री बाबू लाल
निवासी - गाम - सेवनीया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र -
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा गाम सेवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



दरभू

श्री बाबू लाल को सूचना पत्र के एक (1) भाग
दिया जाकर एक (1) भाग पेशी के लिए भेजा है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0204/अ-68/23-24

प्रति.

श्री मनोज तंडम

निवासी- ग्राम-सेवतिया गौड़- भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //


(अन्तर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवतिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से उरी किया गया।



Manojekam

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

माननीय निरीक्षक को सूचना पत्रक कि एक कार्यादेश
कादं भोपाल किंग सादर सेवा में निवेदन पेश है

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. शैलेंद्र तंडाम
पुत्र श्री राजकुमार
निवासी-ग्राम-सेवनीया गौड़-भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

श्री

श्री मान को अनावेक को सूचा पत्र कि एडकार
देकर एड लमिल किया सादर सेवा में रिफर पेश किया

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-

प्रति,

श्री. विष्णु पुत्र श्री विदलीप
ग्राम - शेवनीया गौड़
भोपाल

अतिक्रम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरसावेजां सहित पेशी दिनांक 02/4/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

श्री विष्णु

श्री माधु जी के गवेवतु को सूचना पत्र के कि
पत्र कापी देकर लम्बिल किया सादर सेवा
के लिए पत्र है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 004/अ-68/23-2

प्रति,

श्री सुजान

बिवाकी - ग्राम - सेवनिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवनिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 100 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज री किया गया।


तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



सुजान सिंह

श्री सुजान सिंह का सूचना पत्र को सुझाव पत्र के रूप में कापी देकर
बाद लभित किमा सादर निवेदन के लिए प्रार्थना है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर, वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री तेज राम पुत्र
श्री. भंवरलाल
निवासी- गगन-बैव्रिया गौड़ - भोपाल.

अंतिम सूचना पत्र.
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरसावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24

तेज राम

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर, वृत्त भोपाल



कार्यवाही के लिए सूचना पत्रक के एक कॉपी देकर
कार्यवाही किया जायें।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-

प्रति,

श्री माखन पुत्र
श्री गौरिवाल
निवासी - ग्राम - सेविका गौड़ - भोपाल
अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02.10.24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

100
15/3/24

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



माखन

श्री माखन पुत्र को सूचना पत्रांक 122/1 के लिये कार्य कर अतिक्रमण किया गया जिसका म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-

प्रति,

श्रीमती - दृशीना वी
पत्नी श्री इनायत कुशेशी
निवासी - सेवतिया गौड - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवतिया गौड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज री किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



दृशीना

मैंने आपके द्वारा सूचित किया गया है कि एक कोपी
देकर बाद तमील किया साकर सेवा मे रिफेस्ट पेडा है। 3

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 5004/अ-68/23-2

प्रति,

श्री श्रीमती सिमरन

निवासी-जगन्-सेवनिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र.

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1)) .

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविया गौड़ की शासकीय भूमि खरसा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24

Seema

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर भोपाल



प्रति

श्रीमती सिमरन

आपको सूचना पत्रक के एक कापी देकर
आपके लिये किताब साफ़ लिपि में प्रिफरेंस पत्रक है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-

प्रति,

श्री सुनील पुत्र दिलीप
ग्राम सेवीगवा गौड़
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीगवा गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 4.50 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुर्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत आधिकारम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



100
15/3/24

श्रीमान् न्यायालयीन मुद्रा के साथ फटाक
कि एक कॉपी देकर आप लमील किया
सादर सिक से रिपोर्ट प्रेषित है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-68 / 232

प्रति,

श्री मती - गमता पत्नी
श्री - विश्वान.
निवासी - शैबनिया गॉड - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शैबनिया गॉड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-012 एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
भोपाल

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक ⁵⁰⁰⁴ / अ-68 / 23

प्रति,

श्री जहीर खान
पुत्र श्री कुदीर खान
निवासी - खान-शेवतिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेवतिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अंतर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 08/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24



श्री भाग जी अनाकेवक को सूचना
पुत्र के एक कापी देकर (साक्षर भूमि)
दिया साक्षर भूमि में फाइल पेश है।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-68/23-2

प्रति,

श्री. सुरेश पुत्र
श्री. सिद्ध
निवासी- ग्राम - शेवनिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेविया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत आधिकारम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त परियोजना
राजधानी परियोजना
भोपाल

केशकी
पत्र श्री गौड़ की अनवेदक को सूचना पत्रक
के लिए कार्यवाही देकर कार्य नमिल दिया सादर
सेवा में प्रेषित पत्र है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्रीमती विमला पीएम शेड जी
ग्राम सेवीवाघा गौड़
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीवाघा गौड़ की शासकीय भूमि
खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012
एकड़/वर्गफुट में से 405 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा
कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
आधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।
निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी,
जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.सी
किया गया।


तहसीलदार
राजधानी परियोजना,
टी.टी.नगर भोपाल



श्रीमती विमला पीएम शेड जी को सूचना पत्रक कि
एक कारण देकर बाह सम्मिल किया सिद्ध है
मे रिपोर्ट पेश है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. सुदेश वजारा

बिवाक्री - शेवतिया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शेवतिया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

100
15/3/24

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।

सुदेश

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



श्री मान

देकर

आपको सूचना पत्र कि एक कापी
दिया (नाई के) से रिफर पेडा है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0804/अ-68/252

प्रति,

श्री. विजय श्याम

निवासी - सेवनीया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र.

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से उरी किया गया।

100
15/3/24

†
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



श्री. विजय श्याम
आपको सूचित किया जाता है कि आपकी भूमि पर अतिक्रमण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. पं. म. म. म.
ग्राम सेवीवाया गौड़
भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीवाया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 250 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल



न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. श्री. जमनावाई
पत्नी श्री याशीशम
निवासी - ग्राम - सेवनावा गौड - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र.

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवनावा गौड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.102 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री श्री कुलावई
पत्नी श्री शौभाशम
निवासी-ग्राम-सेवीवा गौड़-भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवीवा गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।


तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/23-24

प्रति,

श्री मोहन पुत्र
श्री घन्नाला
निवासी - ग्राम - सेवनीया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी

किया गया।

100
513124

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक ⁵⁰⁰⁴ / अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री जगदीश पुत्र
श्री श्रीमलाल शर्मा
निवासी - ग्राम - सेविका गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.102 एकड़/वर्गफुट में से 400 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.सी किया गया।

100
15/3/24

ताहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. प्रकाश कुछाव
पुत्र श्री घन्नालाल
निवासी - ग्राम - शैवनीया गौड़ - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र.
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम शैवनीया गौड़ की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4-012 एकड़/वर्गफुट में से 4.50 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से उरी किया गया।



9
तहसीलदार
राजधानी तहसीलदार
टी.टी.नगर वृत्त परियोजना
भोपाल

न्यायालय ताहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-68 / 23-24

प्रति,

श्रीमती अंजना देवि पीठ श्यामलाल
ग्राम सेविका गौज
भोपाल

अंतिम सूचना पत्र
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौज की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की बसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।

100
15/3/24



सहायक न्यायालय
राजधानी परियोजना
भोपाल
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. सुरेश शाह

निवासी - ग्राम-सेविका गौड- भोपाल

अंतिम सूचना पत्र.

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेविका गौड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 9.6 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



100
5/3/24

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी. नगर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/29

प्रति,

श्री सुलशन यादव

निवासी - ग्राम - सेवतिया गोंड - भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सेवतिया गोंड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 122/1 क्षेत्रफल 4.012 एकड़/वर्गफुट में से 450 एकड़/वर्गफुट भूमि पर सुग्गा कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02.10.24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

100
15/3/24



श्री सुलशन यादव

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

श्री मादजी आनंद के जो सूचना पत्र क डि. प्रो. कापी देकर यह लभिल किया (नादा सेवा) में रिपोर्ट पेश है

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा०प्र०क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //

(म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

सौरभ पुत्र रामसिंह

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 500 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक...02.../04.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

अपर, तहसीलदार
अपर तहसीलदार,
राजधानी परियोजना, नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा0प्र0क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

आशा विश्वकर्मा पत्नी मुकेश

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 225 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक...02.../...04.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

अपर तहसीलदार
राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा0प्र0क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

दीपक पुत्र मदनलाल

कलाबाई पत्नी मदनलाल

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर
35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित
भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 1500 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर
अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि
दिनांक...0.2.../04.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया
जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की
कार्यवाही की जावेगी।

अपर तहसीलदार
राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा0प्र0क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

अज्जूबाई पत्नी पप्पू

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 225 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक...02.../04.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

अपर तहसीलदार
अपर तहसीलदार
राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

आयालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा०प्र०क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //

(म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

राजेश पुत्र रामसिंह

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक...02.../04.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

अध्यापक तहसीलदार
राज.पी.टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा0प्र0क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

ग्यान सिंह पुत्र मांगीलाल

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक...02.../04.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नही हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।


अपर तहसीलदार
अपर तहसीलदार
राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त
राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा0प्र0क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

मुन्नी पुत्री राकेश

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक...0.2.../0.4.../2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

अपर तहसीलदार
राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

रा०प्र०क्र. 0001 / अ-68 / 2023-24

// अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र //
(म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

भोला महासज

निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय:-ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर
35/1 पर अंश भाग पर अतिक्रमण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित
भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर
अतिक्रमण किया गया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

अतः अंतिम सूचना पत्र जारी कर आपको निर्देशित किया जाता है कि
दिनांक. 6.9.2024 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया
जाकर सूचित करें, कब्जा नही हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की
कार्यवाही की जावेगी।

अपर तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

बिन्दु माई

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0006/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. चैनसिंह जाधव पुत्र मन्नु लाल

निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 कुल क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर कुशी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kauw
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

पूजाजाधव

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री. सरिता पाटीदार
पति - धर्मेन्द्र
निवासी - शाकरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिगापुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 कुल क्षेत्रफल 4.8290 हे. एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 दो मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/ 23-24

प्रति,

श्री. ए.मैन्डु बांकरिया

पुत्र - एन.वाम

निवासी - शकरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 कुल क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 600 एकड़/वर्गफुट भूमि पर 600 वर्गफिट पर इस्का कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 दो मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
भोपाल

उम्मील

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना - पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति.

श्री विनोद भास्कर

आ० - रवि भास्कर

निवासी - शाहरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगफर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 कुल क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से एकड़/वर्गफुट भूमि पर 200 वर्गफुट भूमि पर कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
भोपाल

21/3/24

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना - पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री दीनदयाल फुल बाबू लाल
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 कुल क्षेत्रफल 4.8290 हे. एकड़/वर्गफुट में से 225 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Koum
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

दीनदयाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/2023-2

प्रति,

श्री. शंजेश पुत्र भगवान सिंह ठाकुर
रिक्त पत्नी संतोष ठाकुर
निवासी - शावरी नगर कोटवा सुब्बानाबाद
भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हेक्टर एकड़/वर्गफुट में से 400 एकड़/वर्गफुट भूमि पर अवेध झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kamru
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

शान्ति

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. शिवेश साहू पुत्र
रामसिंह
निवासी - शावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 कुल क्षेत्रफल 4.8290 हे. एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



शिवेश्वर साहू

Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री मति सुस्कान सिंह W/O

अपित सिंह

निवासी - शालरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि

खसरा क्रमांक 20/12 क्षेत्रफल 4.8290 हेक्टर

एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कर

कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
आधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी,
जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी
किया गया।



Kam
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

21/3/24
(संबंधित)

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री गुप्ता (रिक्त भूमि)
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगफुड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/ 23-24

प्रति,

श्री. शोनिया शर्मा W/O

राजेश

निवासी - शकरी नगरी भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंघफर की शासकीय भूमि, खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर इसकी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Koum
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

शोनिया

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री अनिल यादव
आठ - मुल्ताब यादव
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगफुर की शासकीय भूमि
खसरा क्रमांक 20/112 क्षेत्रफल 4.8290 हे०
~~एकड़/वर्गफुट~~ में से 3230 ~~एकड़/वर्गफुट~~ भूमि पर डेयरी का निर्माण
कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
आधिकृतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी,
जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी
किया गया।

मुल्ताब



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना - पत्र

सजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री बन्ने सिंह आ०- डी तुलाराम अहिरवार
निवासी - झावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे. एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

जगजीवन आहिरवार



Kavy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 अ-68/23-24

प्रति,

श्री. जगदीश्वर फुल
चिंशेखीलाल
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //


(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगफुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/12 क्षेत्रफल 4.8290 है. एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/84 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/84 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kauy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

पिस्ता अधिस्वार

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री पवन हेमन्त फुलगाव,
श्री फूल सिंह यादव
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगफुर की शासकीय भूमि
खसरा क्रमांक 20/12 क्षेत्रफल 4.8290 हे०
एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी को निर्माण
कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी,
जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी
किया गया।



Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

ज्या

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. अवधेश प्रसाद आदव
आ०. किशनलाल
निवासी - शबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर उत्थरी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



अवधेश प्रसाद

Kanay
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना - पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. वितेन्द्र यादव आ. - मुंशी यादव
उदयभान 9/0 देवनाथ
निवासी - शाहरी नगर सोपान

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिगफुड की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर इयरी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 अ-68 / 13-26

प्रति,

श्री. कमल फुल - बाबूलाल यादव
प्रेमनाशरण फुल - सनमान सिंह यादव
अभिषेक - फुल शुभाष वर्मा
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिवापुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर इथरी का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना - पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 अ-68 / 23-24

प्रति,

श्री स्वामी पाल
शाबरी पाल
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर उधरी बनाकर कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना-पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. कालू फुल कश्मल सिंह साद्व
मिवासी - शावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय सजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगफुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8298 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर उथरी बनाकर कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

अंतिम सूचना - पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. देवेन्दु निवासी पिता- श्री रामनाथयण निवा
निवासी - J-5 अलीशा बिहार
1 मार्च के सामने कोलार रोड भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम चन्दनपुरा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 33/1 क्षेत्रफल 1.781 हे० एकड़/वर्गफुट में से 0.007 हे० एकड़/वर्गफुट भूमि पर हनुमान अन्दि कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 02/04/24 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanul
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

Hans

9752028681

न्यायालय अपर तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

प्रकरण क्रमांक 01/अ-68/2023-24

मध्यप्रदेश शासन

आवेदक

विरुद्ध

भोजराज पुत्र प्रेमलाल व अन्य
निवासी-ग्राम बरखेड़ीखुर्द भोपाल

अनावेदक

// बेदखली आदेश //

(बेदखली आदेश अंतर्गत धारा 248 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959)

(आज दिनांक...05.10.2024 को पारित)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व निरीक्षक ग्राम बरखेड़ीखुर्द द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बरखेड़ीखुर्द स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 35/1 रकबा 100 वर्गफिट भूमि पर जो कि कलियासोत बांध के एफ.टी.एल. एवं 33 मीटर के दायरे में आता है पर झुग्गी निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। जिसके संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उक्त शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्देश दिये गये थे किन्तु आज दिनांक तक उक्त शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है। अतिक्रमणकर्ताओं की सूची निम्नानुसार है।

क्रमांक	अतिक्रमणक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा (वर्गफुट में)	अतिक्रमण का प्रकार
1.	भोजराज पुत्र प्रेमलाल	बरखेड़ीखुर्द	35/1	100	झुग्गी
2.	सौरभ पुत्र रामसिंह	बरखेड़ीखुर्द	35/1	500	झुग्गी
3.	दीपक पुत्र मदनलाल, कलाबाई पत्नी मदनलाल	बरखेड़ीखुर्द	35/1	1500	झुग्गी
4.	अज्जूबाई पत्नी पप्पू	बरखेड़ीखुर्द	35/1	225	झुग्गी
5.	राजेश पुत्र रामसिंह	बरखेड़ीखुर्द	35/1	100	झुग्गी
6.	ग्यान सिंह पुत्र मांगीलाल	बरखेड़ीखुर्द	35/1	100	झुग्गी
7.	मुननी पुत्री राकेश	बरखेड़ीखुर्द	35/1	100	झुग्गी
8.	आशा विश्वकर्मा पत्नी मुकेश	बरखेड़ीखुर्द	35/1	225	झुग्गी
9.	भोला महाराज	बरखेड़ीखुर्द	35/1	21500	कल्याणी गौशाला, पक्का मकान एवं मंदिर

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम बरखेड़ीखुर्द स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 35/1 के अंश भाग पर उपरोक्तानुसार अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है।

अतः उक्त शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमणित भूमि से आपके विरुद्ध बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर उक्त शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित करें अन्यथा उक्त अतिक्रमण बल पूर्वक हटाया जावेगा एवं उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने में होने वाले समस्त व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित।



नायब तहसीलदार
राज.परि.टी.टी. नगर भोपाल
नायब तहसीलदार

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 10/अ-68/2023-24
ग्राम - बेरखेड़ी बाज्याफ्त, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री रामकिशन आ० देवीराम

निवासी ग्राम बेरखेड़ी बाज्याफ्त, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम बेरखेड़ी बाज्याफ्त, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 900 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
न्यायालय
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 11/अ-68/2023-24
ग्राम - बेरखेडी बाज्यापत, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म0प्र0 भू-रा0संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री डालचन्द आ0 मिश्रीलाल

निवासी ग्राम बेरखेडी बाज्यापत, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

- अनावेदक

---00---

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम बेरखेडी बाज्यापत, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 900 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 22/अ-68/2023-24

ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //

(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री मुकेश आ० गोपाल भारिया

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 100 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 14/अ-68/2023-24
ग्राम - महुआखेडा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री राजेन्द्र शर्मा पुजारी आ० रामेश्वर शर्मा
निवासी ग्राम महुआखेडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेडा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 4000 वर्गफीट भूमि पर मन्दिर बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपरिस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 12/अ-68/2023-24
ग्राम - बेरखेड़ी बाज्यापत, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म0प्र0 भू.रा0संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री सुरेश आ0 देवीराम

निवासी ग्राम बेरखेड़ी बाज्यापत, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम बेरखेड़ी बाज्यापत, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 900 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
म.प्र.

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 23/अ-68/2023-24
ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

विरुद्ध

श्री कल्लू खां आ0 बन्ने खां

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

- आवेदक

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 400 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से वेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपरिस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 20/अ-68/2023-24
ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री शहीद खां आ० नन्ने खां

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 750 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 21/अ-68/2023-24
ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म०प्र० भू.रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री बन्ने खां आ० शहीद खां

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 750 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से वेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 16/अ-68/2023-24

ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //

(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

खातून बी पत्नी रुस्तम खां

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

---00---

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 150 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपरिस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 15/अ-68/2023-24
ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री लाल मियां आ० रूस्तम खां

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 300 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपरिस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 19/अ-68/2023-24
ग्राम - महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म0प्र0 भू.रा0संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री जावेद आ0 नसीर खान

निवासी ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 300 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपरिस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 08/अ-68/2023-24
ग्राम - भानपुर केकड़िया, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //

(म0प्र0 भू.रा0संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री नारायण सिंह लोधी आ0 पतिराम लोधी

निवासी ग्राम भानपुर केकड़िया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम भानपुर केकड़िया, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 1000 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान व टीन की छत बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील * हुजूर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 13/अ-68/2023-24
ग्राम – बेरखेडी बाज्यापत, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //
(म0प्र0 भू.रा0संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

– आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती शीलाबाई प्रजापति पत्नी स्व0 बालकृष्ण

निवासी ग्राम बेरखेडी बाज्यापत, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

– अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेड़ा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 900 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, भोपाल, म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 18/अ-68/2023-24

ग्राम - महुआखेडा, तहसील हुजूर, भोपाल

// कारण बताओ नोटिस //

(म०प्र० भू-रा०संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

मध्यप्रदेश शासन

- आवेदक

विरुद्ध

श्री/श्रीमती - श्री मेहबूब आ० अजीज खां

निवासी ग्राम महुआखेडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म०प्र०

- अनावेदक

—00—

इस सूचना पत्र के माध्यम से आप अनावेदक द्वारा ग्राम महुआखेडा, तहसील हुजूर, भोपाल की भूमि पर रकबा 600 वर्गफीट भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि से वेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। सात दिवस के भीतर अनुपस्थिति की दशा में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।


तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसील हुजूर

कार्यालय जनपद पंचायत फंदा, जिला भोपाल, म०प्र०

(पुराना सचिवालय, एस.पी. ऑफिस के पास)

ANNEXURE R-5 (colly)

E-mail phandabho@nic.in Tel.No.0755-2545213

क्रमांक / 3134 / ज.पं. / एन.जी.टी. / 2024

भोपाल दिनांक 14 / 08 / 2024

प्रति,

- उपसचिव
पर्यावरण विभाग मंत्रालय
जिला भोपाल
- अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय :- केरवा जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) में अनाधिकृत निर्माण पत्र तामिली दिनांक 15, 16 एवं 17 मार्च 2024

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हुजूर जिला भोपाल का पत्र क्रमांक / 207 / रीडर / 2024 भोपाल दिनांक 14 / 03 / 2024 एवं पत्र क्रमांक / 507 / रीडर-1 / 24 भोपाल दिनांक 09 / 08 / 2024

-000-


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से एफ.टी.एल से 33 मीटर की सीमा में आने वाले रकबे का अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में दिनांक 13 / 08 / 2024 की वस्तुस्थिति ।

क्र.	ग्राम का नाम	भूमिस्वामी नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	एफ.टी.एल. से 33 मीटर की सीमा में आने वाला रकबा	एफ.टी.एल. से 33 मीटर की सीमा में किया गया निर्माण	निजी / शासकीय	सूचना पत्र तामिली की दिनांक	दिनांक 14 / 08 / 2024 तक की गई कार्यवाही
1	मेंडोरा	अजय सिंह आ.अर्जुन सिंह	226	0.60 हैक्टे.	0.60 हैक्टे.	सोलर पावर शेड	निजी	नीरज सिलावट आरक्षक (898) 16/03/2024	ग्राम-पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय

अधिकारी, तह. हुजूर,
जिला-भोपाल को
दिनांक 14.08.2024
को लेख किया गया
है ।

2	मेंडोरा	अजय सिंह आ.अर्जुन सिंह	232, 234	0.630 हैक्टे. एवं 0.250 हैक्टे.	0.100 हैक्टे. (2500 वर्गफीट)	किचन शेड अस्थाई कुर्सी लगाकर एवं गार्डन बनाकर पक्का काटेज निर्माण किया गया	निजी	नीरज सिलावट आरक्षक (898) 16/03/2024	” --
3	मेंडोरा	राकेश लीला आ. पीसी लीला, निवासी अरेरा कालोनी	235	0.400 हैक्टे.	700 वर्गफीट	30 फीट व्यास का झोपडीनुमा टीनशेड	निजी	हनुमंत लोधी चौकीदार 16/03/2024	” --
4	मेंडोरा	शरदकुमार सांघी आ. सोहनलाल सांघी	246 / 1	0.170 हैक्टे.	0.100 हैक्टे.	1000 वर्गफीट में मिटटी खोदकर भराव कार्य किया गया	निजी	कालू सिंह 16/03/2024	” --
5	मेंडोरा	राजकिशोर सिंह, रविन्द्र पुत्रगण जीतेन्द्र सिंह	246 / 2	0.080 हैक्टे.	0.015 हैक्टे.	1600 वर्गफीट में पक्की दिवार टीनशेड बनाया गया	निजी	नोटिस लेने से मना किया इसलिये स्थल पंचनामा बनाया गया 16/03/2024	” --
6	मेंडोरा	श्रीमती निशा पी राजानी पत्नि पुरुषोत्तम राजानी	254, 255,	0.0970 हैक्टे.	0.010 हैक्टे.	1200 वर्गफीट में टीनशेड एवं पक्की दिवार निर्माण किया गया	निजी	घर पर नहीं मिले तथा नौकर को नोटिस लेने से मना किया इसलिये स्थल पंचनामा बनाया गया 16/03/2024	” --
7	मेंडोरा	अवनि वैश्य आ. एल.पी. वैश्य निवासी मेंडोरी	144 / 2	0.100 हैक्टे.	0.050 हैक्टे.	150 वर्गफीट का टीनशेड एवं बगीचा बनाया गया	निजी	दयाराम 16/03/2024	” --
8	भानपुर कैंकडिया	मनीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द्र त्रिपाठी ग्रीन सिंटी, अरेरा कालोनी	77	0.670 हैक्टे.	1200 वर्गफीट	1200 वर्गफीट में पक्का मकान एवं टीनशेड की छत बनाया गया	निजी	मन्नान (बटियादार) नोटिस देते समय पंचनामा भी बनाया गया 17/03/2024	” --

9	भानपुर केंकडिया	आशीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिटी, अरेरा कालोनी	72/1/2	0.482 हैक्टे.	200 वर्गफीट	200 वर्गफीट अर्द्ध पक्का मकान की छत निर्माण किया गया	निजी	मन्नान (बटियादार) नोटिस देते समय पंचनामा भी बनाया गया 17/03/2024	" --
10	भानपुर केंकडिया	आशीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिटी, अरेरा कालोनी	69/2	0.620 हैक्टे.	400 वर्गफीट	400 वर्गफीट मे पक्का मकान टीनशेड की छत निर्माण किया गया	निजी	मन्नान (बटियादार) नोटिस देते समय पंचनामा भी बनाया गया 17/03/2024	" --
11	बेरखेडी बाज्याफत	मेसर्स आई.पी.एस. प्रा. लि. डायरेक्टर आलोक नंदा	478	0.710 हैक्टे.	0.150 हैक्टे.	पाली हाउस बनाया गया	निजी	महेन्द्र विश्वकर्मा 9630725029 16/03/2024	" --
12	बेरखेडी बाज्याफत	डा. प्रमोद श्रीवास्तव	286/1/1	0.336 हैक्टे.	0.060 हैक्टे.	300 वर्गफीट मे कच्चा मकान एवं टीनशेड निर्माण किया गया	निजी	मनोज 6232003997 16/03/2024	" --
13	फतेहपुर डोबरा	श्रीमती इन्द्रा पत्नि उमाकांत	347	1.620 हैक्टे.	0.0100 हैक्टे.	500 वर्गफीट मे पक्का मकान बनाया गया	निजी	मनोज 15/03/2024	" --
14	महुआखेडा	अरुण एल सिंह देव आ. एन.एस. सिंहदेव	34/4	0.668 हैक्टे.	0.027 हैक्टे.	3000 वर्गफीट मे प्लिंथ एवं कॉलम निर्माण किया गया	निजी	मोईन खान 15/03/2024	" --
15	महुआखेडा	आमिर खान पुत्र अब्दुल वहाब	413, 410/2/1, 411, 412	0.180 हैक्टे. एवं 0.7540 हैक्टे.	0.0120 हैक्टे. एवं 0.80 हैक्टे.	पक्का मकान एक मंजिला एवं 400 वर्गफीट की प्लिंथ एवं कॉलम का निर्माण किया गया	निजी	रामचरण 15/03/2024	" --
16	बेरखेडी बाज्याफत	ग्राम पंचायत	470	0.400 हैक्टे.	900 वर्गफीट	900 वर्गफीट मे सामूदायिक भवन निर्माण किया गया	शासकीय	कमला कुशवाहा सरपंच 16/03/2024	" --


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत ...मेंडोरा.....

कमांक / 25 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय :-

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।


--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याचिका कमांक 7 / 2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 144/2 ग्राम मेंडोरा में श्री शेजाज गफूर खाटव द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत मेंडोरा द्वारा अपने सूचना पत्र कमांक 108/ग्रा.पं/2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र कमांक * दिनांक * द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना / अतिक्रमण दिनांक 14/08/24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना / अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।


सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)
सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत ...मेंडोरा.


भोपाल दिनांक 14/08/2024


कमांक / 25 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।


सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)
सरपंच / सचिव
ग्राम पंचायत ...मेंडोरा.


सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)
सरपंच / सचिव
ग्राम पंचायत ...मेंडोरा.

कार्यालय ग्राम पंचायत ...सेडोरा.....

क्रमांक / 24 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 4/08/2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी

काशील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याविका क्रमांक 7/2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 144/2 ग्राम ...सेडोरा में श्री अवनी वैकुण्ठ शिरोडिया द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत ...सेडोरा द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 107/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र क्रमांक 17/ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14/08/2024 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

Neu मीरा
सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं. फन्दा भोपाल (म.प्र.)
सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत ...सेडोरा..

भोपाल दिनांक 4/08/2024

क्रमांक / 24 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

Neu
सचिव
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
काशील हुजूर जिला भोपाल

Neu मीरा
सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं. फन्दा भोपाल (म.प्र.)
ग्राम पंचायत ...सेडोरा..

कार्यालय ग्राम पंचायत ...मंडोरा.....

क्रमांक / 23 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।



—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यादिका क्रमांक 7 / 2022 के सदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी सारकारीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 254, 255 ग्राम ...मंडोरा... में श्रीमति निशु पी. राजानी द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत ...मंडोरा... द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 04/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र क्रमांक 15/ग्रा.पं./दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना / अतिक्रमण दिनांक 14/08/2024 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना / अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।


 
सरपंच
ग्राम पंचायत मंडोरा
सरपंच/सचिव (म.प्र.)



ग्राम पंचायत ...मंडोरा...
भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक / 23 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।


14/08/24
आवक-जयक
सिलिपेक
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल

 
सरपंच
ग्राम पंचायत मंडोरा
सरपंच/सचिव (म.प्र.)
ग्राम पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायतमैंडोरा.....

क्रमांक / 22 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी

कदरील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याचिका क्रमांक 7/2022 के सदर्थ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निर्जीव शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 246/2 ग्राम मैंडोरा में श्री शालू किशोर सिंह द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत मैंडोरा द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक /03/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र क्रमांक /16/ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14/08/24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
ज.प. फन्दा भोपाल (म.प्र.)

ग्राम पंचायत मैंडोरा
भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक / 22 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

कार्यालय ग्राम पंचायत ...मेंडोरा.....

कमांक / 21 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक/4/08/2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी

उत्तरील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।


---00---

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यादिका कमांक 7/2022 के सदम में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 256/1, ग्राम मेंडोरा में श्री शरद कुमार झांडी द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत मेंडोरा द्वारा अपने सूचना पत्र कमांक 102/ग्रा.पं./2022 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र कमांक 12/ग्रा.पं. दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14/08/24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु न.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।


सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं.कन्डा-भोपाल (न.प्र.)
सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत मेंडोरा


भोपाल दिनांक/4/08/2024


कमांक / 21 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।


14/08/24
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
उत्तरील हुजूर जिला भोपाल


सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं.कन्डा-भोपाल (न.प्र.)
ग्राम पंचायत मेंडोरा

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा.....

क्रमांक / 20 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी

कठरील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याचिका क्रमांक 7/2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 235 ग्राम मेंडोरा में श्री रजेश नीला S16^{री} द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत मेंडोरा द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 10.1/ग्रा.पं. /2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र क्रमांक 113/ग्रा.पं. दिनांक 15/03/24 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना / अतिक्रमण दिनांक 14/08/24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना / अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं. फन्दा - भोपाल (म.प्र.)
सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत मेंडोरा

भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक / 20 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत मेंडोरा

सचिव
14/08/24
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
जिला भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत ...भैंडोरा.....

क्रमांक / 19 / ग्रा.प. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

पति

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हज़ूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याविका क्रमांक 7/2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 226..... ग्राम भैंडोरा में श्री अजय सिंह S/10 ज्व.श द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत भैंडोरा द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 105/ग्रा.प. अर्जुन सिंह दिनांक 11/09/2023 तथा सूचना पत्र क्रमांक 11/ग्रा.प. दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14/08/2024 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस दल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

Nil मीरा
सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत भैंडोरा
तहसील हज़ूर (म.प्र.)

ग्राम पंचायत ...भैंडोरा

भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक / 19 / ग्रा.प. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

uu
14/08/24
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हज़ूर जिला भोपाल

Nil मीरा
सचिव सरपंच
ग्राम पंचायत भैंडोरा
तहसील हज़ूर (म.प्र.)

ग्राम पंचायत ...भैंडोरा

कार्यालय ग्राम पंचायत ...मैंडोरा.....

कमांक / 18 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

पति

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यादिका कमांक 7/2022 के सदम में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 232, 234 ग्राम ...मैंडोरा, में श्री अजय सिंह S10 एवं श्री अर्जुन सिंह द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत ...मैंडोरा... द्वारा अपने सूचना पत्र कमांक 106/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र कमांक 114/ग्रा.पं./दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14/08/2024 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

Neel सरपंच
ग्राम पंचायत मैंडोरा
ज.पं.कन्दा/सचिव (म.प्र.)
ग्राम पंचायत ...मैंडोरा...

कमांक / 18 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

Neel सरपंच
ग्राम पंचायत मैंडोरा
ज.पं.कन्दा/सचिव (म.प्र.)
ग्राम पंचायत ...मैंडोरा...

Neel
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुर के.के.डि.या

क्रमांक / 56 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

पति

अनुविभागीय अधिकारी

तारसील हुजूर जिला भोपाल

विषय:

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याचिका क्रमांक 7/2022 के सदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शारदाकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 6912 ग्राम भानपुर के.के.डि.या में श्री आशीष त्रिपाठी द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत भानपुर के.के.डि.या द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 03 दिनांक 11-09-23 तथा सूचना पत्र क्रमांक 44 दिनांक 16-03-24 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14-08-24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत भानपुर के.के.डि.या

भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक / 56 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
तारसील हुजूर जिला भोपाल

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत भानपुर के.के.डि.या

कार्यालय ग्राम पंचायत शानपुर कुच्छिया

कमांक / 55 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक/4/08/2024

पति

अनुविभागीय अधिकारी

तारसील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याचिका कमांक 7 / 2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शारदीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 77 ग्राम शानपुर कुच्छिया में श्री मनीष शिवा ठी द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत शानपुर कुच्छिया द्वारा अपने सूचना पत्र कमांक 510 सुभाष-चन्द्र शिवा ठी दिनांक 16-09-23 तथा सूचना पत्र कमांक 45 दिनांक 16-03-24 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14-8-24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व दल अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा की जाती है ।

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत शानपुर कुच्छिया

भोपाल दिनांक/4/08/2024

कमांक / 55 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत शानपुर कुच्छिया

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
तारसील हुजूर जिला भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत शानपुर कुकडिया

कमांक / 54 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024
पति

भोपाल दिनांक 4/08/2024

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में ।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा याचिका कमांक 7/2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शारकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे ।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 72/1/2 ग्राम शानपुर कुकडिया में श्री आशीष त्रिपाठी द्वारा किया जाना पाये जाने पर, ग्राम पंचायत शानपुर द्वारा अपने सूचना पत्र कमांक 02 दिनांक 11-09-23 तथा सूचना पत्र कमांक 43 दिनांक 16-03-24 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी । किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14-08-24 तक नहीं हटाया गया है ।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है ।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत शानपुर कुकडिया

भोपाल दिनांक 4/08/2024

कमांक / 54 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत शानपुर कुकडिया



कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याप्त

क्रमांक / 10 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

अनुविवाचीय अधिकारी

राज्यीय हुनूर जिला भोपाल

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा विहित अधिकरण के अतिक्रमण का संचालन

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित कृषि संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण विहित किया गया है।

उक्त विहित अतिक्रमण खसरा नम्बर 286/1/1 ग्राम बेरखेड़ी वाज्याप्त में श्री उमोद जी वास्तव द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याप्त द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 102/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र क्रमांक 109/ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण का अंत आदेश की गई थी। किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 2024 तक नहीं हटाया गया है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की सहायता से सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

(Signature)
सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याप्त
जनपद फन्दा भोपाल
ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याप्त
भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक / 10 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

(Signature)

जनपद फन्दा भोपाल
अनुविवाचीय अधिकारी
राज्यीय हुनूर जिला भोपाल

(Signature)
सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याप्त
जनपद फन्दा भोपाल
ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याप्त



कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याफत

क्रमांक / 09 / ग्रा.प. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय - राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व दल द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यात्रिका क्रमांक 7/2022 के सदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 478... ग्राम बेरखेड़ी में श्री मेसर्स आरि.पी.ए. वाज्याफत द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याफत द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 101/ग्रा.प./2023 दिनांक 11/09/23 तथा सूचना पत्र क्रमांक 06/ग्रा.प./2024 दिनांक 15/3/2024 द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14/08/2024 तक नहीं हटाया गया है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस दल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याफत
जनपद कन्दा भोपाल

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याफत

भोपाल दिनांक 10/08/2024

क्रमांक / 09 / ग्रा.प. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याफत
जनपद कन्दा भोपाल

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी वाज्याफत

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी

क्रमांक/०१ / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

अनुविभागीय अधिकारी

राजसव दल जिला भोपाल

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजसव दल द्वारा विविध अतिक्रमण संरचनाओं का सर्वेक्षण किया गया है।

00

उपरोक्त विषयसंबंधी निवेदन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिसर में निर्मित विभिन्न संरचनाओं का सर्वेक्षण राजसव दल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण विहित किया गया है।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण संरचना नम्बर 347 ग्राम कुहियूर में श्रीमती इन्द्रा पानी इमाज द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत छापरी द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 28 दिनांक 11.09.2023 तथा सूचना पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14.08.24 तक नहीं हटाया गया है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु मंत्र पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1993 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है।

अतः निवेदन है कि उक्त कार्यवाही हेतु राजसव अनले एवं पुलिस दल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत छापरी

भोपाल दिनांक 14/08/2024

क्रमांक/०१ / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिदिशि

- 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनाार्थ।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनाार्थ।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
राजसव दल जिला भोपाल

सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत छापरी

कार्यालय ग्राम पंचायत

कमांक/02

ग्रा.पं./अतिक्रमण/20.4

हापरी

भोपाल दिनांक 08/08/2024

प्रति

अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

विषय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्व बल द्वारा निर्दिष्ट अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयसंबंधित निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा क्रमांक 7/2022 के सदर्न में दिये गये निर्देशानुसार जल संरचनाओं के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी शासकीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजस्व बल द्वारा किया जाकर अतिक्रमण विहित किये गये थे।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर A.10.41.3 ग्राम ^{मुहुआरके में श्री आमिर खान पुत्र अशु खान} द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत हापरी द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक 26 दिनांक 11.9.23 तथा सूचना पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक 14.8.2024 तक नहीं हटाया गया है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु न.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजस्व अमले एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत हापरी

भोपाल दिनांक 08/08/2024

कमांक/02 / ग्रा.पं./अतिक्रमण/2024

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

कार्यालय अनुसूचित जाति आयोग
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
जिला भोपाल

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत हापरी

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी

क्रमांक 03 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

भोपाल दिनांक 4/03/2024

अनुविभागीय अधिकारी

राजसिंह इजुर जिला भोपाल

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजसिंह इजुर द्वारा निर्दिष्ट संरचनाओं का सर्वेक्षण किया जा सकता है।

00

उपरोक्त विषयवस्तुगत निवेदन है, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के सदन में दिये गये निर्देशानुसार जल संयंत्रों के 33 मीटर की परिधि में निर्मित निजी आवासीय संरचनाओं का सर्वेक्षण राजसिंह इजुर द्वारा किया जाकर अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे।

उक्त चिन्हित अतिक्रमण खसरा नम्बर 34/4 ग्राम **महुआखेड़ा** में श्री **अरुण एल सिंह देव** द्वारा किया जाना पाये जाने पर ग्राम पंचायत **छापरी** द्वारा अपने सूचना पत्र क्रमांक **11.9.2023** तथा सूचना पत्र क्रमांक **24** दिनांक **14.8.2024** द्वारा उनसे अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु उनके द्वारा उक्त संरचना/अतिक्रमण दिनांक **2024** तक नहीं हटाया गया है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08/07/2024 के पालन करने हेतु नए पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित नियम 1999 के अनुसरण में करते हुये संरचना/अतिक्रमण हटाया जाना अपेक्षित है।

अतः निवेदन है, कि उक्त कार्यवाही हेतु राजसिंह इजुर एवं पुलिस थल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही हेतु तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत **छापरी**

भोपाल दिनांक 4/03/2024

क्रमांक / 03 / ग्रा.पं. / अतिक्रमण / 2024

प्रतिनिधि -

- 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
राजसिंह इजुर जिला भोपाल

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत **छापरी**

कार्यालय जनपद पंचायत फंदा, जिला भोपाल, म०प्र०

(पुराना सचिवालय, एल.पी. ऑफिस के पास)

E-mail phandabho@nic.in Tel.No.0755-2545213

विषय :- केरवा जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में।

दिनांक - 15, 16, 17 मार्च 2024 की तारीख
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हुजूर जिला भोपाल
का पत्र क्रमांक /207/रीडर/2024 भोपाल दिनांक 14/03/2024

क्र.	ग्राम का नाम	भूमिस्वामी नाम	खसरा नंबर	निजी/शासकीय	सूचना पत्र तारीखी की दिनांक
1	मेंडोरा	अजय सिंह आ.अर्जुन सिंह	226	निजी	नीरज सिलावट आरक्षक (898) 16/03/2024
2	मेंडोरा	अजय सिंह आ.अर्जुन सिंह	232, 234	निजी	नीरज सिलावट आरक्षक (898) 16/03/2024
3	मेंडोरा	राकेश लीला आ. पीसी लीला, निवासी अरेरा कालोनी	235	निजी	हनुमंत लोधी चौकीदार 16/03/2024
4	मेंडोरा	शरदकुमार सांघी आ. सोहनलाल सांघी	246/1	निजी	कालू सिंह 16/03/2024
5	मेंडोरा	राजकिशोर सिंह, रविन्द्र पुत्रगण जीतेन्द्र सिंह	246/2	निजी	नोटिस लेने से मना किया इसलिये स्थल पंचनामा बनाया गया 16/03/2024
6	मेंडोरा	श्रीमती निशा पी राजानी पत्नि पुरुषोत्तम राजानी	254, 255, 144/2	निजी	घर पर नहीं मिले तथा नौकर को नोटिस लेने से मना किया इसलिये स्थल पंचनामा बनाया गया 16/03/2024
7	मेंडोरा	अवनि वैश्य आ. एल.पी. वैश्य निवासी मेंडोरी	144/2	निजी	दयाराम 16/03/2024
8	भानपुर केंकडिया	मनीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिंटी, अरेरा कालोनी	77	निजी	मन्नान (बटियादार) नोटिस देते समय पंचनामा भी बनाया गया 17/03/2024
9	भानपुर केंकडिया	आशीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिंटी, अरेरा कालोनी	72/1/2	निजी	मन्नान (बटियादार) नोटिस देते समय पंचनामा भी बनाया गया 17/03/2024
10	भानपुर केंकडिया	आशीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिंटी, अरेरा कालोनी	69/2	निजी	मन्नान (बटियादार) नोटिस देते समय पंचनामा भी बनाया गया 17/03/2024
11	बेरखेडी बाज्याफत	मेसर्स आई.पी.एस. प्रा.लि. डायरेक्टर आलोक नंदा	478	निजी	महेन्द्र विश्वकर्मा 9630725029 16/03/2024

Spaul

12	बेरखेडी बाज्याफत	डा. प्रमोद श्रीवास्तव	286/1/1	निजी	मनोज 6232003997 16/03/2024
13	फतेहपुर डोबरा	श्रीमती इन्द्रा पत्नि उमाकांत	347	निजी	मनोज 15/03/2024
14	महुआखेडा	अरुण एल सिंह देव आ.एन. एस. सिंहदेव	34/4	निजी	मोईन खान 15/03/2024
15	महुआखेडा	आमिर खान पुत्र अब्दुल वहाब	413, 410/2/1, 411, 412	निजी	रामचरण 15/03/2024
16	बेरखेडी बाज्याफत	ग्राम पंचायत	470	शासकीय	कमला कुशवाहा सरपंच 16/03/2024

Spaw

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 11 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अजय सिंह / अजुन सिंह
ग्राम मैडोरा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।


संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा के पत्र क्रमांक / 05 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 226 (निजी) में कुल रकबा 0.60 हैक्टे. जिसमें से 0.60 हैक्टेयर में सोलर पावर शेड लगाकर एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लौक अंपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयवधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

प्रति प्राप्त है ।


साचिव
ग्राम पंचायत मैडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

नाम - नरिज रिवाज

पद - उपायुक्त (898)

समय - 13:20

दिनांक - 16 मार्च 2024

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 14 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अजय सिंह/अर्जुन सिंह
ग्राम मेंडोरा

विषय :-

केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :-

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हजर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023
-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा के पत्र क्रमांक / 05 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 232 एवं 234 (निजी) में कुल रकबा 0.630 हैक्टे. तथा 0.250 हैक्टे. में से 0.100 हैक्टेयर में 50X50=2500 वर्ग फीट में किचिन शेड व अस्थाई कुर्सी लगाकर तथा गार्डन बनाकर पक्का कॉटेज निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

प्रति शापक


सचिव

ग्राम पंचायत मेंडोरा
जनपद पंचायत मेंडोरा भोपाल

नाम - नौरज शिलावर
पद - 8114 45 (898)
समय - 13:20
दिनांक - 16 मार्च 2024

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक/ 12 /ग्रा.पं./2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री शरद कुमार सांघी / सोहनलाल सांघी

ग्राम मेंडोरा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने काबत् ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/66E/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा के पत्र कमांक/02/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 246/1 (निजी) में कुल रकबा 0.170 हैक्टे. में से 0.100 हैक्टे. में मीट्टी खोदकर 75X40 वर्ग मीटर भराव किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।


सोदिव

ग्राम पंचायत मेंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

शरद कुमार
कामू
कर्मचारी
16/03/24
2:13 P.M

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री राजकिशोर सिंह एवं रविन्द्र सिंह / जितेन्द्र सिंह
ग्राम मैडोरा


विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा के पत्र क्रमांक / 03 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 246 / 2 (निजी) में कुल रकबा 0.080 हैक्टे. में से 0.015 हैक्टे. में 40X40 वर्ग फीट पक्की दीवार पर टीगशेड बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयवाधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।



सचिव
ग्राम पंचायत मैडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

मिलेगी
कोर का मना किया नहीं जायेगा)

पता - हाटम न्यू इन न्यू मार्केट श्रीपाल)

रजाल पंचनामा

यह की कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसील
इपूर जिला भोपाल के पत्र क्र/665/अविअ/इपूर/2023
भोपाल दिनांक 09/09/2023 के आदेश अनुसार ग्राम-पंचायत
मंडारा द्वारा सूचना पत्र क्र/16/गा.पं./2024 द्वारा केरवा
डेम के रफ.टी.रूल से 33 मीटर की परिधि में किसे
गाये निजी भूमि पर अतिक्रमण होने हेतु दिनांक
15/03/2024 को श्री राजकिशोर सिंह एवं श्री रविन्द्र सिंह
/ जितेंद्र सिंह को सूचना पत्र जारी किया गया था
उक्त सूचना पत्र को श्री राजकिशोर सिंह एवं
श्री रविन्द्र सिंह / जितेंद्र सिंह द्वारा सूचना पत्र लेने
से मना कर दिया गया। जिसके हम साक्षी
हैं। उक्त पंचनामा समय पर काम आवे।

दिनांक
16/03/2024

Hue

सचिव
ग्राम-पंचायत मंडारा

Anah

कि
ग्राम-पंचायत मंडारा
ग्राम-पंचायत मंडारा (अतिप्रकार)

किशन लाल

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 15 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री निशा पी राजानी / पुरुषोत्तम राजानी
ग्राम मेंडोरा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा के पत्र क्रमांक / 04 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 254 एवं 255 (निजी) में कुल रकबा 0.0970 हैक्टे. में से 0.010 हैक्टे. में 20x60 वर्ग फीट पर टीनशेड की पक्की दीवार का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।



सांचव

ग्राम सचिव, मेंडोरा
जनपद पंचायत, मेंडोरा भोपाल

बद नहीं मिले नोट कर
रिलीव करत ले गना किया ।
फोटो भी न लेने दिया न चलेगा
करत दिया ।

पत्र - 20 रिन रड इलाहाबाद हिल अफिल (श. 5)

स्वच्छता पंचनामा

यह कि आज दिनांक 16/03/2024 को कार्यालय
अनुविभागीय अधिकारी तहसील दुपूर जिला भोपाल के
पत्र क्र/665/अविअ/दुपूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023
के परिपालन में ग्राम पंचायत मैडारा द्वारा पत्र क्र/
15/ग्रं पं./2024 केरवा डेम के स्फ.टी.स्ल. से 33
मीटर की परिधि में किये गए निजी भूमि पर
अतिक्रमण को हटाने हेतु श्रीमति निशा पी. राजानी/
पुरुषोत्तम राजानी को सूचना पत्र जारी किया
गया था किन्तु श्रीमति निशा पी. राजानी/पुरुषोत्तम
राजानी द्वारा सूचना पत्र लेने से मना कर दिया
गया। जिसके हम दरतासुर करवा साक्षी हैं।
यह पंचनामा समय पर काम आवे।

दिनांक
16/03/2024

Blue
अचिव
ग्राम पंचायत मैडारा

श्री
ग्राम पंचायत सदस्य
ग्राम पंचायत सदस्य (अति-युक्त)

विश्वलाल

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 17 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अवनि वैश्य / एल.पी.वैश्य
ग्राम मेंडोरा


विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने कादत्त ;

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा के पत्र क्रमांक / 07 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 144/2 (निजी) में कुल रकबा 0.100 हैक्टे. में से 0.050 हैक्टे. में 15X10 वर्ग फीट का टीनशेड एवं बगीचा बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वेटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।


सोचव

ग्राम पंचायत मेंडोरा
जनपद पंचायत भोपाल

प्रति,
श्री अवनि वैश्य

Dagharom

16/03/2024

समय - 3.00

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 45 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक / 6 / 03 / 2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री मनीष त्रिपाठी / सुभाष चन्द्र त्रिपाठी

ग्राम भानपुरकेकडिया

विषय :- केरवा डेम के एफ टी एल से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के एन क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के पत्र क्रमांक / 01 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 77 (निजी) में कुल रकबा 0.670 हैक्टे. में से 30X40=1200 वर्ग फीट में पक्का मकान टीनशेड की छत से बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव

ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
विक्रम चंद्राकर फन्दा भानपुरकेकडिया

शुभान (बहियादा)
17/3/2024
समय 2:05 PM

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

५३ / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 17/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अशीष त्रिपाठी / सुभाष चन्द्र त्रिपाठी
ग्राम भानपुरकेकडिया

विषय :-

केरवा डेम क एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :-

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के पत्र क्रमांक / 02 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 72/1/2 (निजी) में कुल रकबा 0.482 हैक्टे. में से 20X10=200 वर्ग फीट पर अर्द्ध पक्का मकान की छत का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा सम्भवे होने से नगर न्याय ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 35 का उल्लंघन क साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एव वटलण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
विधान खण्ड फन्दा भोपाल
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
भोपाल

प्रचलित (वर्तमान)

१९/०३/२०२४
२२/०३/२०२४ २ बजे PM

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

दिनांक 16/03/2024

क्रमांक/44 /ग्रा.पं./2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अशीष त्रिपाठी / सुभाष चन्द्र त्रिपाठी

विषय :-

श्री अशीष त्रिपाठी / सुभाष चन्द्र त्रिपाठी
ग्राम भानपुरकेकडिया
केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण
को हटाने बाबत ।

संदर्भ :-

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र
क्रमांक /665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023
-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के पत्र क्रमांक/03/ग्रा.पं./2023 दिनांक
11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में
प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश
क्रमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की
सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में
गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 69/2 (निजी) में कुल
रकबा 0.620 हैक्टे. में से 20X20=400 वर्ग फीट पर पक्का मकान टीनशेड की छत का निर्माण किया गया
है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की
श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा
उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत
अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वेंटिलेण्ड नियमों
के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था ।
आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा
क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना
नियत किया गया है । नियत समयवधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये
जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के
अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जायेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया

संजय (वार्डपट्टा)

ग्रामपट्टा

17/3/2024

ममथ 2 लॉय PM

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याप्त जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 08 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री आलोक नन्दा / अशोक नन्दा
संचालक मेसर्स आई.पी.एस.प्रा.लि.

ग्राम बेरखेडीवाज्याप्त


विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याप्त के पत्र क्रमांक / 01 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 478 (निजी) में कुल रकबा 0.710 हैक्टे. में से 0.150 हैक्टे. में पाली हाउस बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।



सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याप्त

o/c


16/03/24
96387 25029
महेश विप्लवकर्मा

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याप्त जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक/ 07 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

डॉ. प्रमोद श्रीवारस्तव
गाम बेरखेडीवाज्याप्त

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याप्त के पत्र कमांक/02/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 286/1/1 (निजी) में कुल रकबा 0.336 हैक्टे. में से 0.060 हैक्टे. में 15X20=300 वर्गफीट का कच्चा मकान टीनशेड का बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।



सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याप्त

0/6
16/03/2024
6232003997
मनाज

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 36 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

श्रीमती इन्द्रा/उमाकांत

ग्राम फतेहनुरउंदरा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/९३५/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी के पत्र क्रमांक/28/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 347 (निजी) में कुल रकबा 1.620 हैक्टे. में से 0.0100 हैक्टे. में 20X25=500 वर्गफीट का पक्का मकान बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव

ग्राम पंचायत छापरी

जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

मनोय

o/c

15-3-2024

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 37 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15 / 03 / 2024

सूचना-पत्र

प्रति,

अरूण एल सिंह देव / एन.एस.सिंह देव

ग्राम गटुआखेडा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने संबंधित ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी के पत्र क्रमांक / 24 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 34 / 4 (निजी) में कुल रकबा 0.668 हैक्टे. में से 0.027 हैक्टे. में 50x60=3000 वर्गफीट में प्लिंथ एवं कॉलम निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव

ग्राम पंचायत छापरी

01c

मोईन खान

15-3-2024

37

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 38 / ग्रा.पं. / 2024

दिनांक 15 / 03 / 2024

सूचना-पत्र

प्रति,

आमिर खान / वहाब खान

ग्राम बहुआपनेडा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने काबत ;

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी के पत्र क्रमांक / 26 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 413, 410 / 2 / 1-411 -412 (निजी) में कुल रकबा 0.180 हैक्टे. एवं 0.7540 हैक्टे. में से 0.0120 हैक्टे. एवं 0.80 हैक्टे. में पक्का मकान एक मंजिल एवं 400 वर्गफीट प्लिंथ एवं कॉलम का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि में आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

रामरंजन

15/3/2024



सिद्धिव

ग्राम पंचायत, छापरी

जनपद पंचायत, फन्दा भोपाल

कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक/1332/ज.पं./2024

भोपाल दिनांक 15/03/2024

सूचना-पत्र

प्रति,

सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्यापत

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर को परिधि में किये गये शासकीय भूमि पर निर्माण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- 1. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3403/ज.पं./2023 भोपाल दिनांक 12/09/2023
-000-

संदर्भित कार्यालयीन पत्र द्वारा आपको माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा क्रमांक 470 शासकीय भूमि रकबा 0.400 है. 30X30=900 वर्गफीट पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है । जो कि जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल होने से उक्त निर्माण को हटाने के संबंध में आपसे 15 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया था । जो पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । माननीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण में दिये गये निर्देश के अनुसार उक्त समस्त निर्माण कार्यो का समय-सीमा में हटाया जाना अत्यावश्यक है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण हटाने की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण करे । अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत पदधारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।

पृ. क्रमांक/1333/ज.पं./2024
प्रतिलिपि :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
भोपाल दिनांक 15/03/2024

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्यापत
जनपद फन्दा, भोपाल

कमला कुशवाह

9826288059

कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल

कमांक/ 3133
प्रति, / ज.पं. / 2024

भोपाल दिनांक 14/08/2024

अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हूजूर जिला भोपाल

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैच के प्रकरण कमांक/ओ.ए./07/2022 (सीजेड) एवं ओ.ए. 12/2022 (सीजेड) (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08/07/2024 के अनुपालन के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक/507/रीडर-1/24 भोपाल दिनांक 09/08/2024

--00--


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि केरवा जल स्रोत के एफ.टी.एल. लेवल के 33 मीटर परिक्षेत्र में निजी भूमि पर पाये गये 15 एवं 1 शासकीय भूमि पर निर्मित सामूदायिक भवन कुल 16 कार्यों की सूची तहसीलदार हूजूर द्वारा प्रदाय की गई है । उक्त 15 संबंधित अतिक्रमणकारियों को ग्राम पंचायतों द्वारा एवं 1 सामूदायिक भवन को जनपद पंचायत फन्दा भोपाल द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं । अतिक्रमणकारियों द्वारा पंचायत की सूचना पर अपना अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है ।


अतः उपरोक्तानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा कार्यवाही की गई है । किन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा सहयोग ना किये जाने के कारण अतिक्रमण नहीं हट पाये ।

अतः निवेदन है, कि राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अमले की उपलब्धता के दिनांक से ग्राम पंचायतों को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे । ताकि ग्राम पंचायत का अमला अतिक्रमण हटाये जाने की व्यवस्था के साथ उपस्थित रह सके ।


आवक-जावक
लिपिक

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हूजूर जिला भोपाल


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा, भोपाल



कार्यालय जिला पंचायत भोपाल म०प्र०

(जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, भोपाल)
 (ब्लाक-03 जिला कोषालय के पास पुराना सचिवालय, भोपाल-462001)
 दूरभाष : 0755-2540964, 2749815, फेक्स : 0755-2738041
 ई-मेल eeozpbho@mp.gov.in



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

क्र./ 2176 / जि.पं./एसबीएम/एन.जी.टी./2024
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/08/24

डायरेक्टर,
 पर्यावरण एवं प्रभारी अधिकारी,
 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कोलोनी,
 जिला भोपाल।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक OA No.07/2022(CZ) OA No. 12/2022 (CZ) (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में आदेश दिनांक 20.09.2023 एवं आदेश दिनांक 08.07.2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ :- 1.आपका पत्र क्र.3867 दिनांक 12.08.2024
 2.कार्यालयीन पत्र क्र.7973, दिनांक 15.03.2024
 -----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण क्रमांक OA No.07/2022(CZ) OA No. 12/2022 (CZ) (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में आदेश दिनांक 20.09.2023 एवं आदेश दिनांक 08.07.2024 के संदर्भ में माननीय एनजीटी द्वारा कालियासोत एवं केरवा जलाशयो को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु जनपद पंचायत फंडा के ग्राम मेंडोरा एवं मेंडोरी में अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु निर्मित/निर्माणाधीन उपचार की व्यवस्थाओं की प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है। जिसकी अद्यतन रिपोर्ट निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

1	ग्राम मेंडोरी में 10 सामुदायिक लीच पिट कनेक्टिंग चैम्बर सहित एवं 15 केएलडी का 01 डिवाट्स का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिससे घरों से निकलने वाले ग्रे-वाटर का निष्पादन किया जायेगा।
2	ग्राम कुशलपुरा में घरों से उत्सर्जित अपशिष्ट जल के व्यवस्थित निपटान के लिये 02 सोखता गड्ढे/अंतिम बिन्दु या डिस्चार्ज संरचना का निर्माण किया गया है।
3	ग्राम मेंडोरा में 75 केएलडी डिवाट्स संरचना का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 35 केएलडी डिवाट्स का कार्य प्रगतिरत है, जो कि समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जावेगा।

संलग्न :- फोटोग्राफ्स।

अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत भोपाल

भोपाल, दिनांक 13/08/24

पृ.क्र./ 2177 / जि.पं./एसबीएम/एन.जी.टी./2024
 प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक यंत्री, जनपद पंचायत फंडा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपयंत्री, जनपद पंचायत फंडा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. ब्लाक समन्वयक, एसबीएम(जी.), जनपद पंचायत फंडा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत भोपाल




35 KLD DEWATS UNDER CONSTRUCTION




70 KLD DEWATS CONSTRUCTION COMPLETE AT MENDORA




Gram panchayat Mendori
Leach pit no. 1
Capacity : 2K.L.D.
Family : 9




Gram panchayat Mendori
Leach pit no. 2
Capacity : 2K.L.D.
Family : 9



Gram panchayat: Mendori
Leach pit no. 3
Capacity : 2K.L.D.
Family : 8



Gram panchayat: Mendori
Leach pit no. 3
Capacity : 2K.L.D.
Family : 8




Gram panchayat: Mendori
Leach pit no. 5
Capacity : 2K.L.D.
Family : 8




Gram panchayat: Mendori
Leach pit no. 6
Capacity : 2K.L.D.
Family : 8





सोमना गडा कुशल पुरा (ग्राम पंचायत - करखेरी वाजमाळ)



ग्राम - कुशलपुरा गा.प. करखेरी वाजमाळ

क्षमता - 2.5 K.L.D.

पाणी संख्या - 16



ग्राम - कुशलपुरा, ग्राम पंचायत - करखेरी वाजमाळ

क्षमता - 2.5 K.L.D.

पाणी संख्या ¹⁵⁹ 18

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल ANNEXURE R-8

(सीवेज प्रकोष्ठ)

क्र-147/सी.प्रको/नगर निगम/2024
प्रति,

भोपाल दिनांक -13/8/24

हेमंत कुमार शर्मा
डायरेक्टर (पर्यावरण) एवं
प्रभारी अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी
भोपाल

विषय :- माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक
07/2022 (सी.जेड) एवं ओ.ए. 12/2022 (डॉ सुभाष सी.पाण्डेय विरुद्ध म.
प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08/07/2024 के अनुपालन
संबंधी ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 3879/तक/मु.निर्वा/2024 दिनांक 12/08/2024

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 07/2022 (सी.जेड) विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश अनुसार भारत सरकार की अमृत 2.0 योजनांतर्गत कलियासोत जलाशय में मिलने वाले जल-मल की रोकथाम हेतु सूरज नगर के समीप 200 के.एल.डी. एवं बरखेड़ी नाले के समीप 450 के.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त एस.टी.पी. के निर्माण कार्य से कलियारोत जलाशय में मिलने वाले मुख्य रूप से दो नाले क्रमशः सूरज नगर नाला एवं बरखेड़ी नाले के जल-मल को उपचारित किया जायेगा।

वर्तमान में उक्त दोनों क्षेत्रों में लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि शेष निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगभग 03 माह का समय संभावित है।

संलग्न :- स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्यों के छायाचित्र।



अधीक्षक यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ

नगर निगम भोपाल

पृ. क्र-148/सी.प्रको/नगर निगम/2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक -13/8/24

1. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त सीवेज नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री सीवेज नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अधीक्षक यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ

नगर निगम भोपाल



क्षेत्र नगल नाला



सूर्य नारायण



खुश चण्ड नाका



ଓରବେଣୀ ଛୋଟ ମାଳା



ଭାରପେଡ଼ି ଜିଗ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଳା ନାଳା